विनियामक और अन्य उपाय

नवंबर 2009

आरबीआइ/2009-10/206ग्राआऋवि.कें का. आरआरबी.सं.39/03.05.33(इ)/2009-10 दिनांक 5 नवंबर 2009

अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध - विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 - बैंकों के दायित्व

आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध - विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 - बैंकों के दायित्व

कृपया 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण(सीएफटी) के प्रतिरोध पर जारी 27 फरवरी 2008 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.सं.बीसी.50/ 03.05.33(इ) 2007-08 देखें।

2. उक्त परिपत्र के पैरा 5 (बी) में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न संकल्पों (यूएनएससीआर) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची जब भी भारत सरकार से प्राप्त होती है, रिज़र्व बैंक उसे सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में परिचालित करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित सूची के अनुसार व्यक्तियों तथा संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में शामिल नहीं हैं।

इसके साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो

कि कोई भी खाता ऐसी सूची में शामिल व्यक्तियों अथवा संस्थाओं का नहीं है अथवा उनसे संबंधित नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति/संस्था से किसी भी प्रकार की समानता होने वाले खातों के संपूर्ण ब्यौरे भारतीय रिज़र्व बैंक तथा वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू - आइएनडी) को तत्काल सूचित किये जाने चाहिए।

3. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (यूएपीए) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है। सरकार ने 27 अगस्त 2009 को एक आदेश जारी किया है जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के निवारण तथा उनका प्रतिरोध करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क को लागू करने की प्रक्रिया के ब्यौरे दिये गये हैं। धारा 51क के अनुसार उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न अथवा संदिग्ध रूप से संलग्न किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उनके कहने पर रखी गयी निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों पर रोक लगाने, जब्ती या कुर्की करने के लिए तथा आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न या संदिग्ध रूप से संलग्न किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए कोई निधि, वित्तीय आस्ति या आर्थिक संसाधन या उससे जुड़ी सेवाएँ उपलब्ध कराने से किसी व्यक्ति या संस्था को प्रतिबंधित करने के लिए केद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गयी है।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश (प्रतिलिपि संलग्न) में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें तथा सरकार के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक से ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची (जिसे निर्दिष्ट सूची कहा गया है), जिन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू हैं, प्राप्त होने पर उन्हें यूएनएससीआर की सूची में शामिल निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों पर, खासकर बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय सेवाओं या आर्थिक संसाधनों या आर्थिक सेवाओं पर रोक लगाने / रोक हटाने के संबंध में यूएपीए की धारा 51क के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अविलंब प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

6. उक्त आदेश के पैरा 4 के अनुसार बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को निर्दिष्ट सूचियाँ भेजेगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे-

i. अद्यतन निर्दिष्ट सूचियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखें तथा निश्चित मानदंडों के आधार पर नियमित रूप से इसकी जाँच करें कि क्या आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्ति अथवा संस्थाएँ (जिन्हें निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्थाएँ कहा गया है) कोई निधि, वित्तीय आस्तियां या आर्थिक संसाधन या उससे जुड़ी सेवाएं उनके पास बैंक खातों के रूप में रख रहे हैं?

ii. यदि किसी ग्राहक के ब्यौरे निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के ब्यौरे से मिलते हों, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे ग्राहक का पता चलने के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा-I), गृह मंत्रालय को अपनी बहियों में ऐसे ग्राहक द्वारा रखे गये बैंक खाते के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या आर्थिक सेवाओं के पूरे ब्यौरे फैक्स सं. 011-23092569 पर भेज दें। साथ ही, इसकी जानकारी टेलीफोन सं. 011-23092736 पर भी दें। ब्यौरे डाक से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल पर भेजे जाएं।

iii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऊपर (ii) में उल्लिखित सूचना की एक प्रतिलिपि भारतीय रिज़र्व बैंक के यूएपीए नोडल अधिकारी, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, धन शोधन निवारण प्रभाग, विश्व व्यापार केंद्र, सेंटर-1, 4थी मंजिल, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005 को डाक से और फैक्स सं. 022-22185792 पर भेजेंगे। ब्यौरे डाक/फैक्स से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल पर भेजे जाएं।

iv. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऊपर (ii) में उल्लिखित सूचना की एक प्रतिलिपि वित्तीय आसूचना इकाई-भारत तथा उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के यूएपीए नोडल अधिकारी को भी भेजेंगे, जहां खाता रखा गया है।

v. यदि निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के ब्यौरे से किसी ग्राहक के ब्यौरे पूरी तरह मिलते हों और उसमें संदेह की कोई गुंजाइश न हो तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निर्दिष्ट व्यक्तियों को वित्तीय लेनदेन नहीं करने देंगे तथा इसकी सूचना संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा - I), गृह मंत्रालय को फैक्स सं. 011-23092569 पर तथा टेलीफोन सं. 011-23092736 पर देंगे। ब्यौरे डाक से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल पर भेजे जाएं।

vi. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उपर्युक्त पैराग्राफ (ii) के अंतर्गत शामिल खातों में किए गए अथवा करने का प्रयास किए गए सभी लेनदेनों की संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भी निर्धारित प्रारूप में वित्तीय आसूचना इकाई-भारत को प्रस्तुत करेंगे।

7. वित्तीय आस्तियों पर रोक लगाना

i) उपर्युक्त पैराग्राफ 6(ii) में उल्लिखित विवरण प्राप्त होने के बाद गृह मंत्रालय का आंतरिक सुरक्षा -I प्रभाग राज्य पुलिस तथा/अथवा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सत्यापन करवाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों द्वारा पहचान किए गए व्यक्ति/संस्थाएं वही हैं जो निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध हैं और बैंकों ने जिन निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी दी है वे इन्हीं निर्दिष्ट व्यक्तियों /संस्थाओं द्वारा धारित की गई हैं। यह सत्यापन ऐसे विवरण प्राप्त होने की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।

ii) यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि सम्पत्ति पर निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं का स्वामित्व है या उनके लाभ के लिए रखी गयी है तो ऐसे सत्यापन के 24 घंटे के भीतर यूएपीए की धारा 51क के अंतर्गत इन आस्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक और एफआइयू-आइएनडी को अवगत कराते हुए बैंक की संबंधित शाखा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना भेजी जाएगी।

iii) निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं को पूर्व सूचना दिये बिना आदेश जारी होगा।

8. वर्ष 2001 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त अनुरोधों का कार्यान्वयन

i) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अनुसार देशों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे आतंकवादी कृत्य करनेवाले, करने का प्रयास करनेवाले अथवा आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में शामिल या सहायता पहुंचाने वाले व्यक्तियों; ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संचालित संस्थाओं; तथा ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की ओर से या उनके इशारे पर काम करनेवाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं की निधियों अथवा अन्य आस्तियों

पर अविलंब रोक लगाएं। इनमें ऐसे व्यक्तियों तथा उनसे जुड़े व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वाधिकृत या नियंत्रित संपत्ति से उपार्जित अथवा सृजित निधियां एवं अन्य आस्तियां भी शामिल हैं।

ii) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए विदेश मंत्रालय विदेशों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच-पड़ताल करेगा और अपनी टिप्पणी के साथ निधियों अथवा अन्य आस्तियों पर रोक लगाने के लिए उन्हें आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजेगा।

iii) गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी पांच कार्य दिवसों के भीतर अनुरोध की जांच करवाएगा ताकि वह संतुष्ट हो सके कि प्रयोज्य कानूनी सिद्धांतों के आधार पर अनुरोध में यह संदेह करने अथवा विश्वास करने के औचित्यपूर्ण कारण अथवा औचित्यपूर्ण आधार हैं कि प्रस्तावित निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था आतंकवादी है, जो आतंकवाद अथवा किसी आतंकवादी संगठन का वित्तपोषण करता है तथा स्वयं संतुष्ट हो जाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के नोडल अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे अनुरोध को अग्रेषित करेगा। प्रस्तावित निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था को, जैसा कि ऊपर वर्णित है, निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था माना जाएगा।

iv) आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूची भेजी जाएगी तथा पैराग्राफ 5, 6, तथा 7 के अंतर्गत वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

v) रोक लगाने के आदेश संबंधित निर्दिष्ट व्यक्तियों को पूर्व सूचना दिये बिना जारी होंगे।

9. सत्यापन के बाद यह पता चलने पर कि संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा संस्था नहीं है, निधियों पर रोक लगाने से गलती से प्रभावित हुए व्यक्तियों/संस्थाओं की निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर से रोक हटाने की प्रक्रिया

ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जिसके पास इस बात का साक्ष्य हो कि उसके द्वारा धारित/ स्वाधिकृत निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर गलती से रोक लगाई गई है, संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अपेक्षित साक्ष्य लिखित रूप में देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सूचना और उसकी एक प्रति रोकी गई आस्ति के पूरे ब्यौरे सहित उपर्युक्त पैराग्राफ 6(ii) में दिए गए संपर्क सूत्र के अनुसार गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा -I प्रभाग के नोडल अधिकारी को दो कार्य दिवस के भीतर ही अग्रेषित करेंगे जिसके अंतर्गत संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा यह सूचना दी गई हो कि उसकी निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर गलती से रोक लगाई गई है। संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा - I), गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के (आंतरिक सुरक्षा-I)प्रभाग का नोडल अधिकारी होने के नाते व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यदि ज़रूरी हुआ तो इस प्रकार का सत्यापन करवाएगा और संतुष्ट होने पर 15 कार्य दिवसों के भीतर ऐसे आवेदक द्वारा स्वाधिकृत/धारित निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर से रोक हटाने के आदेश जारी करेगा और उसकी सूचना संबंधित बैंक को देगा। तथापि, यदि 15 कार्य दिवसों के भीतर आस्तियों पर से रोक हटाने के लिए किसी कारणवश आदेश जारी करना संभव न हो तो उसकी सूचना आंतरिक सुरक्षा-I का नोडल अधिकारी आवेदक को देगा।

10. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 51क के अंतर्गत आदेशों की सूचना

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 51क के अंतर्गत निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं से संबंधित सभी आदेश भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भेजे जाएंगे।

11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यूएपीए के उपबंधों की जानकारी संबंधित स्टाफ के ध्यान में लाएं और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

आरबीआइ /2009-10/211शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी) परि.सं.19 /13.01.000/2009-10 दिनांक 9 नवंबर 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों में अदावी जमाराशियां तथा अपरिचालित (इनआपरेटिव)/ निष्क्रिय (डॉर्मन्ट) खाते

कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 सितंबर 2008 का हमारा परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.9 / 13.01.00 / 2008-09 देखें। परिपत्र के पैरा 2 (vi) के अनुसार किसी भी खाते को ठअपरिचालितड के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए ग्राहक तथा अन्य पार्टी के अनुरोध पर किए गए दोनों प्रकार के लेनदेनों अर्थात नामे तथा जमा लेनदेन को विचार में लेना चाहिए।

2. ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जब किसी ग्राहक ने सावधि जमा खाते पर उपचित ब्याज बचत बैंक खाते में जमा करने का अधिदेश (मेनडेट) दिया हो और उक्त बचत खाते में इसके अलावा कोई अन्य परिचालन न किया गया हो। इस प्रकार के कुछ प्रश्न उपस्थित हुए हैं कि क्या ऐसे खातों को दो वर्ष के बाद अपरिचालित माना जाए।

3. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सावधि जमा खाते पर उपचित ब्याज बचत बैंक खाते में जमा किए जाने के कारण उसे ग्राहक प्रेरित लेनदेन माना जाना चाहिए। इस प्रकार जब तक सावधि जमाराशि का ब्याज बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है तब तक उस खाते को परिचालित माना जाए। सावधि जमा खाते का ब्याज जमा करने की अंतिम प्रविष्टि की तारीख से दो वर्ष के बाद ही ऐसे बचत बैंक खाते को अपरिचालित माना जा सकता है।

आरबीआइ/2009-10/221शबैंवि.केंका.पीसीबी.परि. सं.20/12.05.001/2009-10 दिनांक 13 नवंबर 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी)सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक - धन शोधन निवारण अधिनियम 2002-बैंकों का दायित्व

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों का दायित्व - शहरी सहकारी बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी) सं.1/12.05.001/ 2008-09 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एफआइयू - इंडिया को जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) के साथ नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत करें। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे मूल्यवान प्रतिभूति अथवा दस्तावेजों में की गई जालसाजी की सूचना भी एफआइयू-इंडिया को दें।

2. एफआइयू - इंडिया ने यह सूचना दी है कि सीटीआर/ एसटीआर / सीसीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार करने की सुविधा उपलब्ध होने, उपयोग की दृष्टि से आसान

वेबसाइट की उपलब्धता, एफआइयू-इंडिया द्वारा प्रशिक्षण के लिए संकाय सहायता आदि सुविधा उपलब्ध करने के बावजूद कई शहरी सहकारी बैंकों ने अभी तक एसटीआर और सीसीआर प्रस्तुत नहीं किए हैं। एफआइयू-इंडिया की चिंता को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को निम्नलिखित पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाता है :

i) संदिग्ध लेनेदेन की पहचान तथा रिपोर्टिंग करने की प्रणाली सक्षम बनाना। शहरी सहकारी बैंक एसटीआर के संदर्भ में सतर्कता संकेत देने वाले एएलएम सॉफ्टवेयर स्थापित करने की संभाव्यता देखें।

ii) समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी केवाइसी दिशानिर्देशों का कडाई से पालन करें।

iii) 2 जुलाई 2008 के परिपत्र शबैंवि.केंका. बीपीडी (पीसीबी) सी./12.05.001/2008-09 के अनुबंध 1 में दिए गए अनुसार आपस में जुडे नकद लेनदेन सीटीआर में अवश्य शामिल करें।

iv) क्रेडिट कार्ड, घरेलू तथा क्षेत्रपार वायर अंतरण, परोपकारी संस्था के खाते के माध्यम से किए लेनदेन पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखें तथा कोई संदिग्ध लेनदेन हो तो उसकी सूचना दें।

v) एएमएल / सीएफटी मामलों पर संवेदीकरण कार्यक्रम में विशेषत: एसटीआर और सीसीआर रिकार्ड करने के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या में परिचालन से जुड़े कर्मचारियों को शामिल करें।

vi) यह सुनिश्चित करें कि एफआइयू - इंडिया को त्रुटिरहित रिपोर्ट भेजी जाती है।

3. शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 क तथा धन शोधन निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने / अनुपालन न करने पर दंडित किया जा सकता है।

आरबीआइ/2009-10/219 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./163/03.10.042/2009-10 दिनांक 13 नवंबर 2009

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ-अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी)/धनशोधन निवारण संबंधी मानक

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) संबंधी दिशानिर्देश/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक

कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. 151 देखें। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में निम्नवत किए गए संशोधनों पर ध्यान दें:

पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (पीइपी) के खाते

2. पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन एवं उनके परिवार के सदस्यों या निकट संबंधियों के संबंध में लागू किए जाने वाले समुचित सावधानी संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र सं. 151/03.10.42/2009 - 10 के अनुबंध II में दिए गए हैं। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि मौजूदा ग्राहक या मौजूदा खाते का लाभार्थी-धारक यदि बाद में पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन बन जाता है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) ऐसे व्यक्ति के साथ कारोबारी रिश्ते जारी रखने के बारे में वरिष्ठ प्रबंधन से अनुमोदन लें और पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन की श्रेणी से संबंधित ग्राहक के बारे में समुचित सावधानी (सीडीडी) उपायों के

तहत ऐसे खाते की जांच करें जिसमें सतत आधार पर और अधिक निगरानी शामिल है।

प्रधान अधिकारी

3. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को 1 जुलाई 2009 के उल्लिखित मास्टर परिपत्र के अनुबंध I के पैरा 10 में सूचित किया गया है कि वे किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करें। प्रधान अधिकारी की भूमिका एवं दायित्वों को उक्त पैरा में वर्णित किया गया है। प्रधान अधिकारी अपने दायित्वों को भलीभांति निभा सके, एतदर्थ यह आवश्यक है कि प्रधान अधिकारी एवं अन्य उचित स्टाफ को ग्राहक की पहचान संबंधी आंकड़ों और ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी /सतर्कता संबंधी सूचना, लेनदेन के रेकार्ड व अन्य संगत सूचना समय से देखने की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) यह सुनिश्चित करें कि प्रधान अधिकारी स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर सके और वरिष्ठ प्रबंधन या निदेशक बोर्ड को सीधे रिपोर्ट कर सके।

आरबीआइ/2009-10/222 शबैंवि. केंका.बीपीडी.पीसीबी 21 /12.05.001/2009-10 दिनांक 16 नवंबर 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक-आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध

आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध - विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967- बैंकों के दायित्व - शहरी सहकारी बैंक

कृपया 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध पर 25 फरवरी 2008 का हमारा परिपत्र शबैंवि. केंका.बीपीडी.(पीसीबी) सं. 32/09.30.000/2007-08 तथा पीएमएलए, अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व पर जारी 2 जुलाई 2008 का परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी).1/ 12.05.001/2008-09 देखें।

2. 25 फरवरी 2008 के उक्त परिपत्र के पैरा 5 (ख) में बैंकों को सूचित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न संकल्पों (यूएनएससीआर) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची जब भी भारत सरकार से प्राप्त होती है, रिज़र्व बैंक उसे सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में परिचालित करता है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित सूची के अनुसार व्यक्तियों तथा संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम/के नाम उक्त सूची में शामिल नहीं हैं। इसके साथ ही, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि ऐसी सूची में शामिल व्यक्तियों अथवा संस्थाओं का कोई भी खाता नहीं है अथवा उनसे संबंधित नहीं है। बैंकों को सूचित किया गया है कि सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति/संस्था से किसी भी प्रकार की समानता होने वाले खातों के संपूर्ण ब्यौरे भारतीय रिज़र्व बैंक तथा वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफआइयू -आइएनडी) को तत्काल सूचित किये जाने चाहिए।

3. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (यूएपीए) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है। सरकार ने 27 अगस्त 2009 को एक आदेश जारी किया है जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के निवारण तथा

उनका प्रतिरोध करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क को लागू करने की प्रक्रिया के ब्यौरे दिये गये हैं। धारा 51क के अनुसार उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न अथवा संदिग्ध रूप से संलग्न किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उनके कहने पर रखी गयी निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों पर रोक लगाने, जब्ती या कुर्की करने के लिए तथा आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न या संदिग्ध रूप से संलग्न किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए कोई निधि, वित्तीय आस्ति या आर्थिक संसाधन या उससे जुड़ी सेवाएँ उपलब्ध कराने से किसी व्यक्ति या संस्था को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गयी है।

4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें तथा सरकार के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

5. बैंकों को सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक से ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची (जिसे निर्दिष्ट सूची कहा गया है), जिन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू हैं, प्राप्त होने पर उन्हें यूएनएससीआर की सूची में शामिल निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों पर, खासकर बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय सेवाओं या आर्थिक संसाधनों या आर्थिक सेवाओं पर रोक लगाने/रोक हटाने के संबंध में यूएपीए की धारा 51क के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अविलंब प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

6. उक्त आदेश के पैरा 4 के अनुसार बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को निर्दिष्ट सूचियाँ भेजेगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे -

i. अद्यतन निर्दिष्ट सूचियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखें तथा निश्चित मानदंडों के आधार पर नियमित रूप से इसकी जाँच करें कि क्या आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्ति अथवा संस्थाएँ (जिन्हें निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्थाएँ कहा गया है) उनके पास बैंक खातों के रूप में कोई निधि, वित्तीय आस्तियां या आर्थिक संसाधन या उससे जुड़ी सेवाएं रख रही हैं।

ii. यदि किसी ग्राहक के ब्यौरे निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के ब्यौरे से मिलते हों, तो बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे ग्राहक का पता चलने के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा-I), गृह मंत्रालय को अपनी बहियों में ऐसे ग्राहक द्वारा रखे गये बैंक खाते के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या आर्थिक सेवाओं के पूरे ब्यौरे फैक्स सं. 011-23092569 पर भेज दें। साथ ही, इसकी जानकारी टेलीफोन सं. 011-23092736 पर भी दें। ब्यौरे डाक से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल से भेजे जाएं।

iii. बैंक ऊपर (ii) में उल्लिखित सूचना की एक प्रतिलिपि भारतीय रिज़र्व बैंक के यूएपीए नोडल अधिकारी, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, धन शोधन निवारण प्रभाग, विश्व व्यापार केंद्र, सेंटर-1, 4थी मंजिल, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005 को डाक से और फैक्स सं. 022-22185792 पर भेजेंगे। ब्यौरे डाक/फैक्स से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल से भेजे जाएं।

iv. बैंक ऊपर (ii) में उल्लिखित सूचना की एक प्रतिलिपि वित्तीय आसूचना एकक-भारत तथा उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के यूएपीए नोडल अधिकारी को भी भेजेंगे, जहां खाता रखा गया है।

v. यदि निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के ब्यौरे से ग्राहक के ब्यौरे पूरी तरह मिलते हों और उसमें संदेह की कोई गुंजाइश न हो तो बैंक निर्दिष्ट व्यक्तियों को वित्तीय लेनदेन नहीं करने देंगे तथा इसकी सूचना संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा -I), गृह मंत्रालय को फैक्स सं. 011-23092569 पर तथा टेलीफोन सं. 011-23092736 पर देंगे। ब्यौरे डाक से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल से भेजे जाएं।

vi. बैंक उपर्युक्त पैराग्राफ (ii) के अंतर्गत शामिल खातों में किए गए अथवा करने का प्रयास किए गए सभी लेनदेनों की संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भी निर्धारित प्रारूप में वित्तीय आसूचना एकक-भारत को प्रस्तुत करेंगे।

7. वित्तीय आस्तियों पर रोक लगाना

i. उपर्युक्त पैराग्राफ 6(ii) में उल्लिखित विवरण प्राप्त होने के बाद गृह मंत्रालय का आंतरिक सुरक्षा -I प्रभाग राज्य पुलिस तथा/अथवा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सत्यापन करवाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों द्वारा पहचान किए गए व्यक्ति/संस्थाएं वही हैं जो निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध हैं और बैंकों ने जिन निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी दी है वे इन्हीं निर्दिष्ट व्यक्तियों /संस्थाओं द्वारा धारित की गई हैं। यह सत्यापन ऐसे विवरण प्राप्त होने की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।

ii. यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि सम्पत्ति पर निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं का स्वामित्व है या उनके लाभ के लिए रखी गयी है तो ऐसे सत्यापन के 24 घंटे के भीतर यूएपीए की धारा 51क के अंतर्गत इन आस्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक और एफआइयू-आइएनडी को अवगत कराते हुए बैंक की संबंधित शाखा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना भेजी जाएगी।

iii. निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं को पूर्व सूचना दिये बिना आदेश जारी होगा।

8. वर्ष 2001 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त अनुरोधों का कार्यान्वयन

i. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अनुसार देशों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे आतंकवादी कृत्य करनेवाले, करने का प्रयास करनेवाले अथवा आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में शामिल या सहायता पहुंचाने वाले व्यक्तियों; ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संचालित संस्थाओं; तथा ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की ओर से या उनके इशारे पर काम करनेवाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं की निधियों अथवा अन्य आस्तियों पर रोक लगाएं। इनमें ऐसे व्यक्तियों तथा उनसे जुड़े व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वाधिकृत या नियंत्रित संपत्ति से उपार्जित अथवा सृजित निधियां एवं अन्य आस्तियां भी शामिल हैं।

ii. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए विदेश मंत्रालय विदेशों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच-पड़ताल करेगा और अपनी टिप्पणी के साथ निधियों अथवा अन्य आस्तियों पर रोक लगाने के लिए उन्हें आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजेगा।

iii. गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी पांच कार्य दिवसों के भीतर अनुरोध की जांच करवाएगा ताकि वह संतुष्ट हो सके कि

प्रयोज्य कानूनी सिद्धांतों के आधार पर अनुरोध में यह संदेह करने अथवा विश्वास करने के औचित्यपूर्ण कारण अथवा औचित्यपूर्ण आधार हैं कि प्रस्तावित निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था आतंकवादी है, जो आतंकवाद अथवा किसी आतंकवादी संगठन का वित्तपोषण करता है तथा स्वयं संतुष्ट हो जाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के नोडल अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे अनुरोध को अग्रेषित करेगा। प्रस्तावित निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था को, जैसा कि ऊपर वर्णित है, निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था माना जाएगा।

iv. आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने के बाद बैकों को सूची भेजी जाएगी तथा पैराग्राफ 5, 6, तथा 7 के अंतर्गत वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

v. रोक लगाने के आदेश संबंधित निर्दिष्ट व्यक्तियों को पूर्व सूचना दिये बिना जारी होंगे।

9. सत्यापन के बाद यह पता चलने पर कि संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा संस्था नहीं है, निधियों पर रोक लगाने से गलती से प्रभावित हुए व्यक्तियों/संस्थाओं की निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर से रोक हटाने की प्रक्रिया

ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जिसके पास इस बात का साक्ष्य हो कि उसके द्वारा धारित/ स्वाधिकृत निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर गलती से रोक लगाई गई है, संबंधित बैंक को अपेक्षित साक्ष्य लिखित रूप में देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। बैंक किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सूचना और उसकी एक प्रति रोकी गई आस्ति के पूरे ब्यौरे सहित उपर्युक्त पैराग्राफ 6(ii) में दिए गए संपर्क सूत्र के अनुसार गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा -I प्रभाग के नोडल अधिकारी को दो कार्य दिवस के भीतर ही अग्रेषित करेंगे जिसके अंतर्गत संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा यह सूचना दी गई हो कि उसकी निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर गलती से रोक लगाई गई है। संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा - I), गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के (आंतरिक सुरक्षा-I)प्रभाग का नोडल अधिकारी होने के नाते व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यदि ज़रूरी हुआ तो इस प्रकार का सत्यापन करवाएगा और संतुष्ट होने पर 15 कार्य दिवसों के भीतर ऐसे आवेदक द्वारा स्वाधिकृत/धारित निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर से रोक हटाने के आदेश जारी करेगा और उसकी सूचना संबंधित बैंक को देगा। तथापि, यदि 15 कार्य दिवसों के भीतर आस्तियों पर से रोक हटाने के लिए किसी कारणवश आदेश जारी करना संभव न हो तो उसकी सूचना आंतरिक सुरक्षा-I का नोडल अधिकारी आवेदक को देगा।

10. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 51क के अंतर्गत आदेशों की सूचना

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 51क के अंतर्गत निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं से संबंधित सभी आदेश भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से सभी बैंकों को भेजे जाएंगे

11. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के उपबंधों की जानकारी संबंधित स्टाफ के ध्यान में लाएं और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

शसबैं-केवाइसी/एएमएल/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध-पीएमएलए के अंतर्गत बैंकों का दायित्व-आरबीआइ/2009-10/224 शबैंवि. केंका. बीपीडी.

पीसीबी. परि.सं. 23/12.05.001/ 2009-1016 दिनांक 16 नवंबर 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी मानदंड/ धन शोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व - शहरी सहकारी बैंक

कृपया 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी दिशानिर्देश - धन शोधन निवारण मानक पर 15 दिसंबर 2004 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी परि. सं. 30/09.16.100 /2004-05 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत अधिनियमित नियमों के अंतर्गत बैंकों का दायित्व विषय पर 21 मार्च 2006 का शबैंवि.बीपीडी परि. सं. 38/ 09.16.100/ 2005-06 देखें।

अभिलेखों की परिरक्षण अवधि

2. सरकार की अधिसूचना के अनुसार धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (वर्ष 2009 का सं. 21) 01 जून 2009 से लागू हो गया है। धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 (पीएमएलए, 2009) की धारा 12 की उप-धारा 2(क) के अनुसार धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत उल्लिखित अभिलेखों को ग्राहक तथा किसी बैंकिंग कंपनी के बीच हुए लेनदेन की तारीख से 10 वर्ष तक अनुरक्षित किया जाए और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 2(ख) के अनुसार धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत उल्लिखित अभिलेखों को ग्राहक तथा किसी बैंकिंग कंपनी के बीच हुए लेनदेन के समाप्त होने की तारीख से 10 वर्ष तक अनुरक्षित किया जाए।

3. तदनुसार, 21 मार्च 2006 के परिपत्र सं 38 के पैराग्राफ 5 को संशोधित करते हुए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंक तथा ग्राहक के बीच लेनदेन की तारीख से धन शोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप एवं मूल्य का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया तथा विधि और सूचना प्रस्तुत करने की समय-सीमा, बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के रिकार्डों का अनुरक्षण) 2005 की नियमावली (पीएमएलए नियमावली) के नियम 3 के अंतर्गत उल्लिखित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के लेनदेन के सभी आवश्यक रिकार्डों का कम-से-कम 10 वर्ष तक अनुरक्षण करें जिससे अलग-अलग लेनदेन के पुनर्निर्माण (इसमें शामिल मुद्राओं की राशि तथा उनके प्रकार, यदि कोई हों, सहित) में मदद मिलेगी ताकि यदि जरूरत पड़े तो आपराधिक गतिविधियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके।

4. तथापि, 21 मार्च 2006 के उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 5 के अनुसार ग्राहक द्वारा खाता खोलते समय तथा कारोबारी संबंध बने रहने के दौरान उसकी पहचान और पते के संबंध में प्राप्त अभिलेख (जैसे पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, उपभोक्ता बिल अदि की प्रतिलिपियां) कारोबारी संबंध के समाप्त हो जाने के बाद कम-से- कम दस वर्ष तक परिरक्षित किए जाएं जो उक्त धन शोधन निवारण नियमावली, 2005 के नियम 10 के अनुसार अपेक्षित है।

पोलिटकली एक्सपोज्ड पर्सन (पीईपी) के खाते

5. पोलिटकली एक्सपोज्ड पर्सन तथा उसके पारिवरिक सदस्यों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों पर लागू किए जाने वाले सीडीडी उपायों से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश 15 दिसंबर 2004 के परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.30/ 09.16.100/2004-05 के अनुबंध I में दिए गए हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि यदि कोई मौजूदा ग्राहक अथवा किसी मौजूदा खाते का लाभार्थी मलिक बाद में

पोलिटकली एक्सपोज्ड पर्सन बन जाता है तो बैंकों को उसके साथ कारोबारी संबंध बनाए रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधतंत्र का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए और उसके खाते को पोलिटकली एक्सपोज्ड पर्सन श्रेणी के ग्राहकों पर लागू होने वाले सीडीडी उपायों के अधीन रखना चाहिए।

प्रधान अधिकारी

6. बैंकों को 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड और धन शोधन निवारण उपयों पर 15 दिसंबर 2004 के परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि. 30 /06.161.000/ 2004-05 के दिशानिर्देश के पैराग्राफ 9 के अंतर्गत यह सूचित किया गया है कि वे वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के किसी अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करें। प्रधान अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियों का विस्तृत उल्लेख उक्त पैराग्राफ में किया गया है। इस उद्देश्य से कि प्रधान अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें यह सूचित किया जाता है कि ग्राहकों की पहचान से संबंधित आंकड़ों तथा अन्य सीडीडी सूचना, लेनदेन रिकार्डों एवं अन्य संबंधित सूचनाओं तक प्रधान अधिकारी तथा अन्य समुचित स्टाफ की समय पर पहुँच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधान अधिकारी अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक कर सके और सीधे वरिष्ठ प्रबंध तंत्र या निदेशक मंडल को रिपोर्ट करे।

आरबीआइ/2009-10/231 भु.नि.प्र.वि. कें.का.पीडी सं.1102/02.14.08/2009-10 दिनांक 24 नवंबर 2009

सभी बैंक, भुगतान प्रणाली प्रदाता और प्रणाली सहभागी

मध्यवर्ती संस्थांओं से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संव्यवहारों के भुगतानों का निपटान और खाता खोलने एवं परिचालन संबंधी अनुदेश

देश में व्यापारियों (मर्चन्ट) को माल और सेवाओं जैसे, बिलों का भुगतान, ऑनलाइन खरीद आदि के लिए होने वाले भुगतानों में इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन भुगतान माध्यमों के प्रयोग में वृद्धि हो रही है। ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन भुगतान माध्यमों का प्रयोग करके माल और सेवाओं हेतु व्यापारियों को किये गये भुगतानों को, भुगतान प्राप्त करने वाली मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा उसे विधिवत दर्ज करके बिना किसी अनुचित विलंब के माल और सेवा के आपूर्तिकर्ता व्यापारी को विप्रेषित किया जाता है, यह आवश्यक समझा गया कि इन संव्यवहारों को सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए उपयुक्त अनुदेश तैयार करने की जरूरत है। तदनुसार, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (अधिनियम 51, 2007) की धारा 18 के तहत संलग्न अनुदेशों को जारी किया जा रहा है।

1. परिचय

1.1 देश में व्यापारियों को माल और सेवाओं जैसे, बिलों का भुगतान, ऑनलाइन खरीद आदि के लिए होने वाले भुगतानों में इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन भुगतान माध्यमों का प्रयोग बढ़ रहा है। बैंकों तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ताओं द्वारा व्यापारियों को भुगतान के लिए ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने में साधारणतया संग्रहक और भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं जैसी मध्यवर्ती संस्थाओं को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कामर्स और मोबाइल कामर्स (ई-कामर्स और एम-कामर्स) सेवा प्रदाता भी इन भुगतानों को प्लेटफार्म प्रदान करके मध्यवर्ती संस्थाओं की तरह कार्य करते हैं

1.2 ऐसी मध्यवर्ती संस्थाओं से जुड़े अधिकांश व्यवस्थाओं में ग्राहकों (ई-कामर्स/ एम कामर्स/ बिल भुगतान संव्यवहारों के लिए) द्वारा किया गया भुगतान पहले इन मध्यवर्ती संस्थाओं के खाते में क्रेडिट हो जाता है तथा व्यापारियों के खाते में निधियों का अंतरण अदाकर्ता ग्राहकों

की देयता के पूर्ण निपटान पर बाद में होता है। मध्यवर्ती संस्थाओं से भुगतान में किसी प्रकार की देरी होने से न केवल ग्राहकों और व्यापारियों को जोखिम होगा अपितु भुगतान प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ेगा।

1.3 ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा किया गया भुगतान ऐसे भुगतानों को प्राप्त करने वाले मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा विधिवत दर्ज करके माल और सेवा प्रदाता व्यापारियों को अविलंब प्रेषित किया जाता है, ऐसे अनुदेशों को बनाने पर विचार किया गया जिससे ऐसे संव्यवहार सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न हो सकें। तदनुसार, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (अधिनियम 51, 2007) की धारा 18 के तहत संलग्न अनुदेशों को जारी किया जा रहा है।

2. परिभाषाएं

2.1 मध्यवर्ती संस्थाएं - मध्यवर्ती संस्थाओं में वे सभी संस्थाएं आती हैं जो माल एवं सेवाओं की प्राप्ति के लिए ग्राहकों से प्राप्त मुद्रा को इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन भुगतान माध्यमों से व्यापारियों को भुगतान करने हेतु एकत्र करती हैं और तत्पश्चात आदाता ग्राहकों की देयता का निपटान करते हुए इस मुद्रा को व्यापारियों को अंतरित करती है

व्याख्या-इन अनुदेशों के लिए, वे सभी मध्यवर्ती संस्थाएं जो माल /सेवा की तत्काल/ एक साथ सुपुर्दगी (जैसे यात्रा टिकिट/सिनेमा टिकिट आदि) की सुविधा ग्राहक का भुगतान पूर्ण होने पर देती हैं, 'मध्यवर्ती संस्थाओं' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आयेगी। सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले संव्यवहार व्यापारियों और मध्यवर्ती संस्थाओं के बीच हुए करार के तहत जारी रहेंगे और बैंक आंतरिक खातों से इतर खाते खोलते समय यह संतुष्ट कर लें कि ऐसी मध्यवर्ती संस्थाएं उपरोक्त 'मध्यवर्ती संस्थाओं' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आयेगी।

2.2 व्यापारीः वे इलेक्ट्रॉनिक कामर्स/ मोबाइल कामर्स सेवा प्रदाता और अन्य व्यक्ति (उपयोगिता सेवा प्रदाता सहित परंतु उन्हीं तक सीमित नहीं) व्यापारियों में शामिल हैं जो उनके द्वारा प्रदत्त माल और सेवाओं के लिए भुगतानों को इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन भुगतान माध्यमों से स्वीकारते हैं।

3. भुगतानों के संग्रहण हेतु खाता रखना

3.1 मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा व्यापारियों के ग्राहकों से भुगतानों के संग्रहण हेतु बैंकों द्वारा खोले गये एवं परिचालित सभी खातों को बैंकों का आंतरिक खता माना जायेगा। इन खातों को नाम देने का कार्य बैंकों पर छोड़ दिया गया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन खातों को खोलना एवं परिचालन कार्य मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा नहीं किया जाता है।

3.2 बैंक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अनुदेशों में वर्णित उद्देश्यों के लिए मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए वर्तमान में रखे गये एवं परिचालित सभी खातों को बदलने की प्रक्रिया इन अनुदेशों के जारी होने के तीन माह के भीतर पूरा हो जाए।

3.3 इस बारे में और अधिक स्पष्टता लाने के लिए इन खातों में निम्नलिखित क्रेडिट/डेबिट को अनुमति प्राप्त है:

i. क्रेडिट

क) माल/सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया भुगतान।

ख) खाते में अन्य बैंकों द्वारा पूर्वनिर्धारित करार के तहत अंतरण, यदि यह खाता मध्यवर्ती संस्था का नोडल बैंक खाता हो।

ग) अपूर्ण (फेल हुए)/ विवादित धन वापसियों संबंधी अंतरण।

ii) डेबिट

क) विभिन्न व्यापारियों/ सेवा प्रदाताओं को किया गया भुगतान।

ख) खाते में अन्य बैंकों को पूर्वनिर्धारित करार के तहत अंतरण, यदि यह खाता मध्यवर्ती संस्था का नोडल बैंक खाता हो।

ग) अपूर्ण (फेल हुए)/ विवादित धनवापसियों संबंधी अंतरण।

घ) मध्यवर्ती संस्थाओं को कमीशन। ये राशियां पूर्वनिर्धारित दर/बारंबारता के आधार पर होंगी।

टिप्पणी - मध्यवर्ती संस्थाओं को पूर्वनिर्धारित दर/ बारंबारता के अलावा कोई और भुगतान नहीं किया जायेगा। मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा करार के समय बताए गये खातों में ही ऐसे अंतरण होंगे।

3.4 मौजूदा खातों के आंतरिक खातों में बदलने का कार्य पूरा होने तक बैंक यह सुनिश्चित करें कि इन खातों में केवल उपरोक्त पैरा 3.3 संव्यवहारों को अनुमति दी जाती है। इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित किया जाए।

4. निपटान

4.1 मध्यवर्ती संस्थाओं / व्यापारियों द्वारा वर्तमान में अपनायी जाने वाली कारोबारी प्रथाओं के तहत व्यापारियों की निधियों का अंतिम निपटान होता है। भुगतान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक बिना किसी विलंब के अंतिम हिताधिकारी को निधियां अंतरित करें। तदनुसार, यह अनिवार्य कर दिया गया है कि बैंक व्यापारियों के सभी अंतिम भुगतानों हेतु निम्नलिखित निपटान चक्र का कार्यान्वयन करेंगे। इस निपटान व्यवस्था का कार्यान्वयन परिपत्र के जारी होने के तीन माह के भीतर किया जाए।

i. व्यापारियों के वे सभी भुगतान जिनमें नोडल बैंकों को निधियों का अंतरण नहीं करना है, को अधिकतम T+2 निपटान चक्र में कर दिया जाए (जिसमें T को संव्यवहार पूरा होने की सूचना प्राप्त होने वाले दिन के रूप में परिभाषित किया गया है)।

ii. व्यापारियों के सभी भुगतान जो नोडल बैंकों से जुड़े हैं, अधिकतम T+3 निपटान चक्र के भीतर कर दिए जाएं।

5. बैंकों द्वारा शेष राशियों का संव्यवहार

5.1 पैरा 3.1 में दर्शाए गये खातों में निधियां, बैंक की बाह्य देयता के रूप में होंगी। इन खातों की निधियों को बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना में शामिल किया जायेगा।

6. समवर्ती लेखा परीक्षा

6.1 बैंक इन खातों की समवर्ती लेखा परीक्षा कराएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग को इस आशय का एक प्रमाणपत्र तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा कि ये खाते इन अनुदेशों के अनुसार परिचालित हैं।

7. अन्य भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए अनुदेश

7.1 प्रीपेड भुगतान लिखितों और कार्ड स्कीम को जारी करने हेतु भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए अधिकृत सभी व्यक्ति इन अनुदेशों का अनुपालन करायेंगे।

आरबीआइ/2009-10/232 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस. एचएलसी. बीसी.सं.43/02.19.10/2009-10 दिनांक 27 नवंबर 2009

एसएलबीसी आयोजक बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सूची के अनुसार)

अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति - 2000 से अधिक जनसंख्या

वाले प्रत्येक गांव में मार्च 2011 तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना

जैसाकि आपको ज्ञात है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना पर श्रीमती ऊषा थोरात, उप गवर्नर की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 20 अगस्त 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो हमारी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। समिति ने अन्य अन्य बातों के साथ-साथ योजना के दायरे को व्यापक बनाने की सिफारिश की ताकि इसमें विशेष रूप से वित्तीय समावेशन, राज्य सरकारों की भूमिका, वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श, 'क्रेडिट प्लस' के कार्यकलाप, समावेशी वृद्धि हेतु बैंकिंग के विकास में 'सहूलियत प्रदान करने वालों' को सहायता पहुंचाने तथा 'बाधकों' को हटाने/ कम करने तथा ऋण समझौता और शिकायत निवारण तंत्र जैसे विषयों को शामिल किया जा सके। समिति की सिफारिशों के अनुसार तथा मौद्रिक नीति 2009-10 की दूसरी त्रैमासिक समीक्षा पर गवर्नर के वक्तव्य के पैराग्राफ 147 में की गई घोषणा के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि अग्रणी बैंक -

''2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक बैंकिंग केंद्र के माध्यम से मार्च 2011 तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मार्च 2010 तक रूपरेखा तैयार करने के लिए जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) की एक उप-समिति गठित करें। यह जरूरी नहीं कि ऐसी बैंकिंग सेवाएं इंट और गारे से बनी शाखा के माध्यम से ही प्रदान की जाएं बल्कि वे बीसी सहित आइसीटी आधारित मॉडलों के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं।''

2. डीसीसी द्वारा एक निगरानी समीक्षा तंत्र गठित किया जाए जो रूपरेखा बनाने में हुई प्रगति का आवधिक रूप से निर्धारण और मूल्यांकन कर सके। इसे डीसीसी की प्रत्येक बैठक में समीक्षा के लिए शामिल किया जाए। यह सूचित किया जाता है कि डीसीसी की एक उप-समिति गठित की जाए जो मासिक आधार पर मिले तथा इस संबंध में हुई प्रगति संलग्न फार्मेट में अगले माह की 10 तारीख तक एसएलबीसी के आयोजक बैंकों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करे। एसएलबीसी के आयोजक बैंक राज्य के प्रत्येक जिले के संबंध में हुई प्रगति की समेकित स्थिति अगले माह की 15 तारीख तक भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करें।

3. कृपया यह सुनिश्चित करें कि गांव पहचानने में हो रही प्रगति की निगरानी हो रही है और नीति में दी गई समय-सीमा के भीतर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

4. तदनुसार, आप डीसीसी / सभी सदस्य बैंकों को सूचित करें।

आरबीआइ/2009-2010/238 बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 63/22.01.009/2009-2010 दिनांक 30 नवंबर 2009

सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित)

बैंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा वित्तीय समावेशन - व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग

वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के अब तक के अनुभवों की जाँच करने तथा विनियामक और पर्यवेक्षीय ढाँचे और उपभोक्ता सुरक्षा संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के संवर्ग को विस्तृत करने के उपाय सुझाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे 19 अगस्त 2009 को बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। भारतीय रिज़र्व

बैंक ने उसके बाद कार्यदल की सिफारिशों को थोड़े संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है। अतः, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अनुबंध में दी गयी कार्यदल की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

2. बैंकों को यह अनुमति दी जाती है कि वर्तमान में अनुमति प्राप्त हस्तियों (एन्टिटीज) के अलावा निम्नलिखित हस्तियों (एन्टिटीज) को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी जाती हैं : (i) ऐसे व्यक्ति जो किराना/मेडिकल/उचित मूल्य दुकानदार हैं (ii) ऐसे व्यक्ति जो पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) ऑपरेटर हैं (iii) भारत सरकार/बीमा कंपनियों की लघु बचत योजनाओं के एजेंट (iv) ऐसे व्यक्ति जो पेट्रोल पम्प के स्वामी हैं (v) सेवानिवृत्त शिक्षक और (vi) बैंकों से संबद्ध सुसंचलित स्वयं-सहायता समूहों के प्राधिकृत कार्यकर्ता।

3. बीसी मॉडल की अर्थक्षमता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को (बीसी को नहीं) अनुमति दी जाती है कि वे एक बोर्ड अनुमोदित नीति के तहत पारदर्शी तरीके से ग्राहक से तर्कसंगत सेवा प्रभार वसूल कर सकते हैं। बीसी मॉडल के माध्यम से जिन ग्राहकों को बैंकिंग सेवा दी जा रही है उनके प्रोफाइल को देखते हुए बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीसी मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहक से जो सेवा प्रभार /शुल्क वसूला जाता है, वह न केवल उचित और तर्कसंगत है, बल्कि उचित और तर्कसंगत दिखता भी है। इस संबंध में, बोर्ड अनुमोदित नीति की एक प्रतिलिपि हमें (अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के मामले में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केंद्र, केंद्र -1, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई 400005 को तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, 10वीं मंज़िल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400001 को) भेजें। बैंकों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक यह शिकायत नहीं करते हैं कि सेवा प्रभार/शुल्क अपारदर्शी /अतर्किक हैं। बैंक इस संबंध में यदि कोई अनुचित प्रथा अपनाते हैं तो भारतीय रिज़र्व बैंक इसे गम्भीरता से लेगा।

4. उपर्युक्त हस्तियों (एन्टिटीज) को शामिल करने के साथ ऐसा अनुमान है कि बीसी के वर्तमान समुदाय में काफी वृद्धि होगी। इसमें निहित परिचालनगत जोखिम और अन्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, बैंक यह सुनिश्चित करें कि बीसी के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के मामले में उचित सतर्कता बरती जाती है तथा एजेंसी जोखिम को कम-से-कम रखने के लिए समुचित अतिरिक्त सुरक्षा उपाय स्थापित किये जाते हैं। समुचित अधिप्रमाणन सुनिश्चित करने वाले सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) समाधान तथा अन्य सुरक्षा उपाय अपनाये जाने चाहिए ताकि पहले सूचित किये गये मॉडल को उन्नत करने में जोखिम कम-से-कम हो। इसके साथ-साथ, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त हस्तियों (एन्टिटीज) को बीसी के रूप में नियुक्त करते समय इस बुनियादी सिद्धांत का अनुपालन होता है कि संबद्ध व्यक्ति उसी क्षेत्र के निवासी हैं जिस क्षेत्र में वे बीसी के रूप में कारोबार करना चाहते हैं।

5. जहाँ तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीसी के रूप में नियुक्त किये जाने वाले हस्तियों (एन्टिटीज) के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना समिति (सीएफएसटी) - (अध्यक्ष : श्रीमती उषा थोरात) द्वारा की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए। अतः, यदि किसी बैंक द्वारा समुचित छानबीन के बाद ऐसे स्थानीय संगठन/संघ को

व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जाता है, जो रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध किसी भी प्रकार के संगठन के अंतर्गत नहीं आता है, तथा जिसे डीसीसी व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में अनुमोदित करने के लिए सिफारिश करती है तो रिज़र्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे संगठन/संघ को बीसी के रूप में नियुक्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों से समुचित छूट प्रदान करने पर विचार कर सकता है। अतः, बैंक इस उद्देश्य से गुवाहाटी में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक से संपर्क कर सकते हैं।

6. इसके अलावा, बैंकों को यह भी अनुमति दी गयी है कि वे उपयुक्त और पर्याप्त सुरक्षा उपाय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यवसाय प्रतिनिधियों को लेनदेन की तारीख से दूसरे कार्य दिवस के अंत तक बैंक बहियों में उक्त लेनदेन की प्रविष्टि करने की अनुमति दें।

7. बीसी के कारोबार के स्थान और आधार शाखा के बीच अधिकतम दूरी से संबंधित मानदंड में छूट के लिए डीसीसी के पास जो मामले भेजे गये हैं, उनमें डीसीसी को यथाशीघ्र तथा किसी भी हालत में उनको भेजे गये मामले की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय देना चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर डीसीसी द्वारा किसी निर्णय की सूचना नहीं दी जाती है तो बैंकों को अनुमति दी जाती है कि वे यह मानें कि दूरी मानदंडों में छूट हेतु 'कोई आपत्ति नहीं' है।